दिनांक 16.11.2026
प्रेस विज्ञप्ति 577/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद ललितपुर/थाना कोतवाली ललितपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक को थाना कोतवाली ललितपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हवाई पट्टी की ओर जाने वाले रास्ते के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त जावेद उर्फ जबू उर्फ आशू उर्फ भूरा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना कोतवाली ललितपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली ललितपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जावेद उर्फ जबू उर्फ आशू उर्फ भूरा निवासी राय कॉलोनी आगासौद रोड बीना थाना कोतवाली बीना जनपद सागर मध्यप्रदेश, हालपता घुसयाना निकट चुंगी नाका थाना कोतवाली जनपद ललितपुर।

बरामदगी

1–नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन।

2–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 15.11.2026 को थाना सिकन्द्राबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त रवि कुमार को घायल/गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना सिकन्द्राबाद पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रवि कुमार निवासी ग्राम कुवंरपुर तरौयन थाना सौरिंख जनपद कन्नौज।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद मेरठ/थाना नौचन्दी

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 25 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी के 08 लाख 82 हजार 500 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 15.11.2026 को थाना नौचन्दी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शास्त्रीनगर के पास से अभियुक्त 1–समर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के निशादेही पर गांधी आश्रम से हंस चौराहे की ओर जाने वाली सड़क के किनारे बाग से अभियुक्त 2–रोहित उर्फ गबरू 3–ओमसरीन 4–अंकित को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 25 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, चोरी के 08 लाख 82 हजार 500 रूपये नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना नौचन्दी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नौचन्दी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नौचन्दी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–समर निवासी शास्त्रीनगर थाना नौचन्दी जनपद मेरठ।

2–रोहित उर्फ गबरू निवासी शास्त्रीनगर थाना नौचन्दी जनपद मेरठ।

3–ओमसरीन निवासी शास्त्रीनगर थाना नौचन्दी जनपद मेरठ।

4–अंकित निवासी शास्त्रीनगर थाना नौचन्दी जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–लगभग 25 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–चोरी के 08 लाख 82 हजार 500 रूपये नगद आदि।

जनपद इटावा/थाना फ्रेण्ड्स कॉलोनी

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 10 हजार 20 रूपये नगद**
- **लूट का 01 मोबाइल फोन**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 15/16.11.2026 की रात्रि थाना फ्रेण्ड्स कॉलोनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिचपुरी–खेड़ा, नहर पुल के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ

कार्यवाही में अभियुक्त कल्लू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 10 हजार 20 रूपये नगद, लूट का 01 मोबाइल फोन, चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद इटावा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना फ्रेण्ड्स कॉलोनी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कल्लू निवासी कोकपुरा थाना फ्रेण्ड्स कॉलोनी जनपद इटावा।

बरामदगी

1—लूट के 10 हजार 20 रूपये नगद।

2—लूट का 01 मोबाइल फोन।

3—चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

- **जनपद फतेहपुर/थाना बिन्दकी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 66 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना बिन्दकी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/394/411 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त गोविन्द को सश्रम आजीवन कारावास व 66 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बरेली/थाना इज्जतनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बरेली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बरेली द्वारा थाना इज्जतनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त समीर को 20 वर्ष के कारावास व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————